फर्द अहकाम

कार्यालय:— न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

अनवान:— आईडीएफसी बैंक **बनाम** कैलाश गर्ग

किस्म मुकदमा:— प्रा. पत्र सरफैसी **पत्रावली संख्या** 209/23 सन्:— 2023

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई।
	16-10-23 पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड जरिये अधिवक्ता श्रीमती श्वेता जैन द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी बैंक के निर्देशानुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बनाम कैलाश गर्ग के विरूद्ध प्रस्तुत सरफैसी प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 को वापस लेने (विड्रो) का श्रम करावे। अधिवक्ता प्रार्थी बैंक को सुना गया, जिनके द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी बैंक उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी बैंक उक्त प्रकरण/प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली की कार्यवाही को इसी स्तर पर बंद किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। **(अरविन्द कुमार पोसवाल)** **जिला मजिस्ट्रेट** **उदयपुर**	